फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण — अप्रार्थीगण

रामेश्वरलाल पुत्र सुखदेव — बनाम — सुखदेव वगैराह

: राजस्व प्रार्थना पत्र — मुकदमा नं. 24........../2022

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
.22	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ ने पेश किया। बहस वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे मामला पृथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है एवं मौजा जायल के खेत ख.न 1946 रकबा 3.7312 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बडेर की पुश्तैनी भूमि है। प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि तथा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन तथा भूमि का बैचान हस्तान्तरण यदि होता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी पक्ष को होगी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टयां मामला विवादित खसरान के विभाजन का प्रतीत होता है जिसमें दोनो पक्षों का हित निहित है। उक्त भूमि में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है तथा उक्त भूमि का बिना विधिवत् बंटवारे के बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि होता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को होगी। अतः अप्रार्थी सं. 1 से 3 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वे मौजा जायल के खेत ख.न 1946 रकबा 3.7312 हैक्टेयर भूमि का बैचान, हस्तान्तरण, दान,गिरवी,वसीयत, बक्सीस, आगामी तारीख पेशी तक नहीं करे, तथा अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 उक्त खेतों के दस्तावेजो का पंजियन नहीं करने एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जबाब देही हेतु सम्मन सीपीसी आदेश 39(3) की पालना में रजिस्ट्रड ए डी से भिजवाये जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पत्रावली दिनांक 8.6.22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
8.6.22	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी ... में/भ्रमण अवकाश ... है, इसलिए प्रकरण उनके ... दिनांक 18.5.22 को प्रस्तुत करें।	
18/5/22	वकुलाय उप। अप्रार्थीगणों को तलबी इन्तजार होकर दि 12/7/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

24/6/2022 पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। मूल वाद वादि द्वारा जरिये विड्रॉल खारिज करवा लिया गया है। वाद के अभाव में प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RTAct का खारिज किया जाता है। मिसल नम्बर से कम होकर वाद आप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहे।

शामे २४/६/२२

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल